

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(2) () सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/15/51843

जयपुर, दिनांक 28-08-2015

आदेश

आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 21 () सान्याअवि/कम्प्यू./एसएसडीजी/71730 दिनांक 26.09.2013 द्वारा पालनहार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र ऑन लाईन प्राप्त करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। ऑन लाईन प्रक्रिया से आवेदन में पालनहारों को होने वाली कठिनाईयों के मध्यनजर रखते हुये अग्रिम आदेश तक विभाग के जिला कार्यालय में पालनहार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन दोनों ही प्रक्रियाओं से स्वीकार करने की शिथिलता प्रदान की जाती है।

उक्त शिथिलता मात्र विभाग के जिला स्तर पर संचालित कार्यालयों में भरे जाने वाले आवेदनों हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये होगी। पंचायत समिति स्तर पर पूर्व के भांति ऑन लाईन आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

27.8.15

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15(2) () सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/15/51844-900 जयपुर, दिनांक 28-08-2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
4. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि,
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति,
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास।
7. आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)